प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.04.2026

- **अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये सम्बन्धित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर श्री हरीश चन्द्र के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रृद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.04.2026 को थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण **1.शाहनबाज उर्फ जेके उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 सुलेमान खान निवासी वार्ड नम्बर 11 कबीर नगर, कस्बा व थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 21 वर्ष 2. सरताज पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी वार्ड नम्बर 11 कबीर नगर, कस्बाव थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 20 वर्ष** सम्बन्धित मु0अ0सं0 169/2026 धारा 61(2)/103(2)/238 बीएनएस को समय 17.05 बजे बटपरू गांव के मोड़ के पास रसूलाबाद बिल्हौर रोड़ थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त **सरताज पुत्र मुस्ताक** उपरोक्त **का नाम प्रकाश में आया है।** अभियुक्तगण उपरोक्त का मेडिकोलीगल परीक्षण कराते हुये कल दिनांक 30.04.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभियुक्तगण के बयान-

अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मृतक असद हुसैन पुत्र मुन्ना खां निवासी कबीर नगर, कस्बा व थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात मेरा मित्र था तथा हम एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर पैसा उधार लेते देते थे। असद आईपीएल में पैसा लगाया था, जिसमें मैने उसको 5000रूपये उधार दिये थे। वह पैसे आईपीएल में हार गया था, जब मैने पैसे मांगे तो कहने लगा कि मुझे पांच हजार और दे दो और जीतकर मैं तुम्हारे लाभ सहित पैसे वापस कर दूंगा। इसी बात में हमारी दोनो की लड़ाई हुई थी। दिनांक 24.04.2025 को मैं उसके साथ गोविन्द गुप्ता की गुमटी पर जाकर 5000 रूपये लेकर मोबाईल रख दिया था और पैसा लेकर असद आईपीएल में हार गया था, फिर शाम को पुनः असद के साथ आकर मैने अपना मोबाईल गोविन्द गुप्ता से लेकर असद का मोबाईल जमा करा दिया था तथा दिनांक 25.04.2026 को असद गोविन्द गुप्ता के दुकान पर आकर 5000 रूपये देकर अपना मोबाईल छूड़ा लिया था, जब मुझे जानकारी हुई तो मै अपने पैसे असद हुसैन से मांगा तो उसने नही दिया, तब मैं गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट किया था तथा अपने दोस्त सरताज पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी कबीर नगर, वार्ड नम्बर 11, कस्बा व थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के साथ मिलकर

असद हुसैन के हत्या की योजना बनाई तथा मैं सरताज हुसैन के असद हुसैन को चौराहा रसूलाबाद से साथ में ई-रिक्शा में बैठाकर विषधन तिराहे के पास ठेके से मैक्डॉवल ब्राण्ड की शराब व पानी की बोतल लेकर रोड के बगल में ई-रिक्शा से उतर कर विषधन रोड पर पुरानी हड्डी मील के सामने बम्बी पर ले जाकर शराब पीकर व पिलाकर सरताज ने असद हुसैन के दोनो हाथ पकड़ लिया और मैने गला दबाकर व कांच की बोतल तोड़कर उसी से गले में वार कर हत्या कर दिया था। तथा हम लोग चुपचाप भाग आये थे, तथा रात में करीब 9 बजे संदीप यादव से प्लास्टिक की बोरी लेकर शानू राईन की मोटरसाईकिल UP 77 K 4705 को लेकर असद हुसैन की लाश को बोरे में भरकर बांधकर हड्डी मील के सूखे पड़े हौज में फेककर ऊपर से ईंटे रखकर मौके से चुपचाप घर वापस आ गये थे। जब मुझे पता लगा कि असद हुसैन के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा उसके घर वालो ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया है, तो मैने सरताज से यह घटना बतायी और आज घर से हम दोनो चुपचाप निकल कर कानपुर जा रहे थे तभी आप लोगों ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.शाहनबाज उर्फ जेके उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 सुलेमान खान निवासी वार्ड नम्बर 11 कबीर नगर, कस्बा व थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 21 वर्ष

2. सरताज पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी वार्ड नम्बर 11 कबीर नगर, कस्बाव थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 0169/2026 धारा 61(2)/103(2)/238 बीएनएस, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस टीम